

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पंकज शर्मा (R.A.S.)

लेखक उनवान
बनाम सरकार

दावा बाबत :- 88-89 RTA
मुकदमा नम्बर :- 002/2018
निर्णय दिनांक :- 10-05-18

वादी की ओर से लेखक की व प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/05/18 को पंकज शर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, राशमी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सरसी पो. ह. मरुमी की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 501 में छेज अंका के अंश पर लेखक पिता मांगीलाल मांगी पत्नि मांगीलाल 1/7 विवधारी देवीलाल कालुराम अणकी प्रेमी पार्वती पिता विशान लाल मांगी पत्नि विशानलाल पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10/05/18 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

✕ 1/7 माथु पिता खुमा 1/7 रतन पिता भूरा बरजी पति भूमा 1/7
 प्यारी बहि पति धारा 1/7 रेगर सा० पीसल सोहन
 मु० देऊ कमला पिता मेघा प्यारी बेवामेघा 1/7 देवीलाल
 मु० मिथाराम 1/7 सा० देह विमेजाने का आडेखाडिया
 जाता है। तदनुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर
 रिकॉर्ड्स फुलरान किया जावे।



पं०
 (पंकज शर्मा)
 सहायक कलेक्टर,
 (रायचण्ड अधिकारी)
 पारसी, जिला-बितीरुगढ़



21/2/2018